

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010—श्रावण 22, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त, 2010

क्र. 4813-306-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 अगस्त, 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष
वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

भाग-एक

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक २७ सन् १९७२) में संशोधन.

२. प्रोद्धारण का संशोधन.
३. धारा १ का संशोधन.
४. धारा २ का प्रतिस्थापन.
५. धारा ३ का संशोधन.

भाग-दो

मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०
(क्रमांक ८ सन् १९८०) में संशोधन.

६. प्रोद्धारण का संशोधन.
७. धारा १ का संशोधन.
८. धारा ३ का संशोधन.
९. धारा ४ का संशोधन.
१०. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१०

**मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष
वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१०.**

[दिनांक १० अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ और मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.

(२) यह २६ मार्च, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

भाग—एक

**मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२
(क्रमांक २७ सन् १९७२) में संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २७ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "मध्यप्रदेश" के पश्चात्, शब्द "विधान सभा" अंतःस्थापित किए जाएं.

प्रोद्धारण का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द "मध्यप्रदेश" के पश्चात्, शब्द "विधान सभा" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २ का प्रतिस्थापन.

"२ अध्यक्ष को सत्ताईस हजार रुपये और उपाध्यक्ष को पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास वेतन दिया जाएगा."

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—

धारा ३ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अठारह हजार रुपये प्रतिमास सत्कार भत्ता दिया जाएगा.";

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "अठारह हजार" के स्थान पर, शब्द "सत्रह हजार" स्थापित किए जाएं.

भाग—दो

**मध्यप्रदेश विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८०
(क्रमांक ८ सन् १९८०) में संशोधन.**

६. मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९८० (क्रमांक ८ सन् १९८०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "विधान मंडल" के स्थान पर, शब्द "विधान सभा" स्थापित किए जाएं.

प्रोद्धारण का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (१) में, शब्द "विधान मंडल" के स्थान पर, शब्द "विधान सभा" स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा ३ में शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "सत्ताईस हजार" स्थापित किए जाएं."

धारा ३ का संशोधन.

धारा ४ का संशोधन.

१. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द “तेरह हजार” के स्थान पर, शब्द “अठारह हजार” स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द “अठारह हजार” के स्थान पर, शब्द “सत्रह हजार” स्थापित किए जाएं.

निरसन
व्यावृत्ति.

तथा

१०. (१) मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक ४ सन् २०१०) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2010

क्र. 4814-306-21-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) अधिनियम 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 22 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA, ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA EVAM NETA
PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972 (NO. 27 OF 1972)

2. Amendment of Section.
3. Amendment of Section 1.
4. Substitution of Section 2.
5. Amendment of Section 3.

PART - II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980 (NO. 8 OF 1980)

6. Amendment of citation.
7. Amendment of Section 1.
8. Amendment of Section 3.
9. Amendment of Schedule 4.
10. Repeal and Saving.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA
EVAM NETA PRATIPAKSHA VETAN TATHA BHATTA VIDHI (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 10th August, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th August, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 and the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall be deemed to have come into force from the 26th March 2010.

PART-I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1972
(NO. 27 OF 1972)

2. In the citation of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act), after the words "Madhya Pradesh", the words "Vidhan Sabha" shall be inserted. **Amendment of citation.**

3. In section 1 of the Principal Act, after the words "Madhya Pradesh", the words "Vidhan Sabha" shall be inserted. **Amendment of Section 1.**

4. For section 2 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :— **Substitution of Section 2.**

"2. There shall be paid a salary per mensem of rupees twenty seven thousand to the Speaker and rupees twenty five thousand to the Deputy Speaker." **Salaries of Speaker and Deputy Speaker.**

5. In section 3 of the Principal Act,— **Amendment of Section 3.**

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker a sumptuary allowance of rupees eighteen thousand per mensem.";

(ii) in sub-section (2), for the words "eighteen thousand", the words "seventeen thousand" shall be substituted.

PART-II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA
(VETAN TATHA BHATTA) ADHINIYAM, 1980
(NO. 8 OF 1980)

6. In the citation of the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "Vidhan Mandal", the words "Vidhan Sabha" shall be substituted. **Amendment of Citation**

- Amendment of Section 1.** 7. In sub-section (1) of Section 1 of the principal Act, for the words "Vidhan Mandal", the words "Vidhan Sabha" shall be substituted.
- Amendment of Section 3.** 8. In Section 3 of the principal Act, for the words "ten thousand", the words "twenty seven thousand" shall be substituted.
- Amendment of Section 4.** 9. In Section 4 of the principal Act,—
- (i) in sub-section (1), for the words "thirteen thousand", the words "eighteen thousand" shall be substituted;
 - (ii) in sub-section (2), for the words "eighteen thousand", the words "seventeen thousand" shall be substituted.
- Repeal and Saving.** 10. (1) The Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha Evam Neta Pratipaksha Vetan Tatha Bhatta Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (No. 4 of 2010) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.